

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु)

रिपोर्ट नम्बर : 100

राजस्थान—सरकार

प्रबोधन सर्वेक्षण

प्रतिवेदन

रबी 2005—06

अप्रैल, 2007

प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा,
कृषि निदेशालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर

प्राक्कथन

प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा द्वारा जारी होने वाले प्रतिवेदनों की श्रृंखला में यह 100 वां प्रतिवेदन है । प्रबोधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रबी 2005-06 में किसान मण्डल प्रणाली के क्रियान्वयन एवं इसके माध्यम से कृषकों तक नवीनतम तकनीकी ज्ञान के प्रसारण का विश्लेषण किया गया है । प्रतिवेदन में रबी 2004-05 की तुलना में प्रगति का आंकलन भी दिया गया है ।

मैं आशा करता हूँ कि यह प्रतिवेदन कृषि विस्तार प्रबन्धकों एवं विभागीय अधिकारियों को भविष्य में प्रभावी क्रियान्वयन में उपयोगी सिद्ध होगा ।

आयुक्त कृषि
राजस्थान, जयपुर

जयपुर,
अप्रैल, 2007

अनुक्रमणिका

क्र०सं०	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 के मुख्य सांराश	1-2
2.	प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 की क्रियान्वयन पद्धति	3-4
3.	प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 के परिणाम	5-14
4.	प्रमुख फसलों के अंतर्गत अपनाये गये प्रमुख प्रभावी बिन्दु अ- गैहूं ब- सरसों स- चना	15-22
5	परिशिष्ट 1 प्रबोधन सर्वेक्षण निरीक्षण प्रगति रबी 2005-06	23
6	परिशिष्ट 2 विभिन्न प्रभावी बिन्दुओं के अनुसरण की राज्य स्तरीय तालिका :- अ गैहूं ब- सरसों स- चना	24-29

प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06

1- प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 कें मुख्य सांराश

- (1) प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 के दौरान राज्य के 52 कृषि उप जिलों में सर्वेक्षण कार्य संपादित किया गया। चयनित 2600 मण्डल कृषक व 2600 अन्य कृषकों में से प्राप्ति क्रमशः 84 एवं 82 प्रतिशत रही। कृषकों से संपर्क कर कृषि अन्वेषक द्वारा सर्वेक्षण संपादित किया गया।
- (2) सर्वेक्षण की गुणवत्ता हेतु खण्ड/जिला तथा उप जिला स्तरपर कार्यरत अधिकारियों द्वारा 26 प्रतिशत सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया।
- (3) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर मण्डल व अन्य कृषकों में 25 से 50 वर्ष तक की आयु सीमा के कृषकों का क्रमशः 65 व 67 प्रतिशत पाया गया।
- (4) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर मण्डल व अन्य कृषकों का साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 87 व 77 पाया गया।
- (5) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर मण्डल व अन्य कृषकों में सीमान्त कृषकों की सहभागिता क्रमशः 19 एवं 26 प्रतिशत एवं लघु कृषक की सहभागिता क्रमशः 29 एवं 30 प्रतिशत रही।
- (6) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर चयनित मण्डल कृषक को अपने चयन की जानकारी का आभास मात्र 43 प्रतिशत कृषकों में ही पाया गया।
- (7) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर गत तीन फसल मौसम में मण्डल कृषक को मण्डल बैठक के निश्चित दिन एवं स्थान की जानकारी में निरन्तर गिरावट देखी गई है। रबी 2004-05 में निश्चित दिन की जानकारी 27 प्रतिशत मण्डल कृषकों को थी जिसकी तुलना में रबी 2005-06 में जानकारी मात्र 20 प्रतिशत कृषकों को है।
- (8) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर किसान सेवा केन्द्र के संचालन के दिवस एवं स्थान की जानकारी क्रमशः 56 एवं 82 प्रतिशत मण्डल कृषकों को तथा क्रमशः 45 एवं 71 प्रतिशत अन्य कृषकों में पाई गई।
- (9) सर्वेक्षण के प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रमुख फसलों के अन्तर्गत अपनाये गये प्रभावी बिन्दु निम्नानुसार रहे :-

1 भूमि उपचार :- मण्डल कृषकों द्वारा गैहू, सरसों एवं चना फसल में क्रमशः 6, 4, व 2 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 5, 4 व 1 प्रतिशत कृषकों ने इसका अनुसरण किया है।

2 बीज उपचार

अ रसायन द्वारा :- बीजोजनित व्याधियों से बचाव हेतु गैहू, सरसों एवं चना फसलों में रसायन से बीज उपचार मण्डल कृषकों द्वारा क्रमशः 43,

45 व 24 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 39, 38, व 20 प्रतिशत कृषकों द्वारा किया गया है ।

ब कल्चर द्वारा बीज उपचार गैहू, सरसों एवं चना फसलों में मण्डल कृषकों द्वारा क्रमशः 19, 15, व 27 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 14, 13 व 21 प्रतिशत किया गया ।

- 3 प्रमाणित बीज का उपयोग :- गैहू, सरसों एवं चना फसलों में मण्डल कृषकों द्वारा क्रमशः 42, 70 व 14 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 35, 64 व 10 प्रतिशत कृषकों द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग किया गया ।
4. बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग :- गैहू, सरसों एवं चना फसलों में मण्डल कृषकों द्वारा क्रमशः 93, 92 व 56 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 91, 91 व 48 प्रतिशत कृषकों ने बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग किया गया ।
- 5 खडी फसल में उर्वरक का उपयोग :- गैहू, सरसों फसलों में मण्डल कृषकों द्वारा क्रमशः 95, व 89, प्रतिशत एवं अन्य कृषकों द्वारा क्रमशः 91 व 86 प्रतिशत कृषकों द्वारा खडी फसल में उर्वरक का उपयोग किया गया ।
- 6 जिप्सम का उपयोग :- रबी में सरसों फसल में 7 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 5 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा जिप्सम का उपयोग किया गया ।

2 प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 की क्रियान्वयन पद्धति

2.1 प्रबोधन सर्वेक्षण के प्रमुख उद्देश्य :-

- (1) यह सुनिश्चित करना कि राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किसान मण्डल प्रणाली सुचारु रूप से कार्य कर रही है अथवा नहीं ?
- (2) किसान मण्डल प्रणाली द्वारा नवीनतम तकनीकी ज्ञान का प्रसारण मण्डल कृषकों तक पहुंच रहा है अथवा नहीं ? साथ ही अन्य कृषक भी इस विधि से लाभ प्राप्त कर अपनी ज्ञान दक्षता में वृद्धि कर रहे हैं या नहीं, इसका विश्लेषण करना ।
- (3) कृषि विस्तार कार्यक्रम की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना ।

2.2 प्रबोधन सर्वेक्षण हेतु संस्थापन व्यवस्था :-

प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य को राज्य स्तर पर सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु निदेशालय में संयुक्त निदेशक कृषि (प्र0मू0) का पद है तथा एक पद उपनिदेशक कृषि (सांख्यिकी) का है । प्रबोधन सर्वेक्षण कार्य को सम्पादित करने हेतु निदेशालय स्तर पर एक पद कृषि अधिकारी (प्रबोधन) का एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य को सम्पादित करने हेतु निदेशालय स्तर पर एक पद सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) का है तथा सारणीकरण व अन्य तकनीकी कार्यों को सम्पादित करने हेतु तीन पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के हैं । खण्ड स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी), कृषि अधिकारी (प्रबोधन) एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद हैं । उपजिला स्तर पर एक कृषि अन्वेषक का पद है जो फसल मौसम में प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करते हैं । कुछ जिलों में सांख्यिकी अधिकारी के पद भी हैं जो जिला स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यों में सामंजस्य हेतु कार्य करते हैं ।

2.3 प्रबोधन सर्वेक्षण डिजाइन

प्रबोधन सर्वेक्षण सम्पादन हेतु स्टार्टीफाईड दो स्तरीय रेण्डम प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है । जिसमें उपजिला को स्टार्ट मानते हुए उसमें पहले मण्डल का चयन करते हैं । मण्डल के चयन के बाद मण्डल में कृषकों का चयन करते हैं । चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण निम्न अनुसार दिया गया है :-

(अ) मण्डलों का चयन :-

प्रत्येक उपजिले में पच्चीस मण्डलों का चयन रेण्डम विधि द्वारा किया जाता है । इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम कृषि उपजिले के समस्त सहायक कृषि अधिकारियों के मुख्यालयों को वर्णमाला के अनुसार क्रम से रखते हुये प्रत्येक सहायक कृषि अधिकारी के अधीनस्थ आने वाले कृषि पर्यवेक्षकों के मुख्यालयों को भी वर्णमाला के अनुसार क्रमबद्ध कर कृषि पर्यवेक्षक वृत्त के मण्डलों को निरन्तर क्रम दे दिया जाता है । तदुपरान्त रेण्डम टेबिल का

उपयोग करते हुए मण्डलों का चयन किया जाता है तथा एक कृषि पर्यवेक्षक वृत्त में केवल एक मण्डल का ही चयन किया जाता है।

(ब) कृषकों का चयन :-

मण्डल कृषकों एवं अन्य कृषकों के चयन हेतु मण्डल के समस्त मण्डल कृषकों एवं मण्डल के अन्य कृषकों की सूची में से रेण्डम विधि द्वारा प्रत्येक मण्डल में दो मण्डल कृषक व दो अन्य कृषकों का चयन किया जाता है। प्रथमतया: मण्डल के मण्डल कृषकों का चयन तदुपरान्त अन्य कृषकों का चयन किया जाता है।

2.4 प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रशिक्षण आयोजन :-

प्रत्येक फसल मौसम में खण्ड स्तर पर सर्वेक्षण कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें खण्ड स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपजिला स्तरीय प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी भाग लेते हैं। इन प्रशिक्षणों को प्रभावी बनाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रतिनिधि भाग लेकर सर्वेक्षण में गुणवत्ता हेतु आवश्यक सुझाव, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नवीनतम सूचनाओं व बिन्दुओं की जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराते हैं।

9 कृषि अन्वेषकों (चिडावा, पीपाडसिटी, गिर्वा, अनूपगढ, नोहर, राजसमन्द, प्रतापगढ, सवाई माधोपुर एवं हनुमानगढ) में पद रिक्त होने से सर्वे कार्य संपन्न नहीं हो सका। कृषि अन्वेषक द्वारा साक्षात्कार विधि से सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी में दिये गये तथ्यों के अनुसार सूचना एकत्रित की गई है।

2.5 प्रबोधन सर्वेक्षण निरीक्षण :-

प्रबोधन सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक उपजिले में कृषि अन्वेषक द्वारा चयनित मण्डल एवं गैरमण्डल के 50-50 कृषकों से साक्षात्कार करके पूर्ण किया जाता है। सर्वेक्षण की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु तथ्यों की जांच हेतु निरीक्षण कार्य सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी), कृषि अधिकारीगण, सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी को दो मण्डल में निरीक्षण करना होता है। प्रबोधन सर्वेक्षण निरीक्षण कार्य की प्रगति रबी 2005-06 में राज्य स्तर पर 92 प्रतिशत रही है, उदयपुर, जोधपुर व कोटा में यह प्रगति क्रमशः 100, 100, व 102 प्रतिशत थी। राज्य स्तरों से कम प्रतिशत वाले खण्ड श्रीगंगानगर 75 व भरतपुर 76 प्रतिशत रही है। कम प्रतिशत वाले खण्ड अधिकारी विशेष कर ध्यान देवें तथा निरीक्षण प्रगति त प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

खरीफ 2005 में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की प्रगति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

3 प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 के परिणाम :-

रबी 2005-06 के दौरान राज्य में 61 उपजिलों में से 52 उपजिलों में प्रबोधन सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न हुआ जिसके अंतर्गत 2600 मण्डल कृषक एवं 2600 अन्य कृषक सर्वेक्षण हेतु चयनित किए गए । इनके विरुद्ध 2187 मण्डल कृषकों एवं 2123 अन्य कृषकों का सर्वेक्षण किया गया जो 84 प्रतिशत मण्डल कृषकों से एवं 82 प्रतिशत अन्य कृषकों से कुल 83 प्रतिशत कृषकों से साक्षात्कार द्वारा सर्वे कार्य कृषि अन्वेषकों द्वारा पूरा किया गया ।

3.1 प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 के अंतर्गत सामान्य सूचनाएँ

प्रबोधन सर्वेक्षण रबी 2005-06 में सर्वेक्षण अनुसार मण्डल एवं अन्य कृषकों के बारे में सामान्य सूचनायें निम्न प्रकार से हैं :-

विवरण	मण्डल कृषक		अन्य कृषक	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.सर्वेक्षण अनुसार पुरुष एवं महिलाओं का वर्गीकरण :-				
सर्वेक्षण सम्पादित	2187	100	2123	100
पुरुष वर्ग	2137	98	2105	99
महिला वर्ग	50	2	18	1
2.मण्डल एवं अन्य कृषकों का आयुवर्ग अनुसार :-				
आयु वर्ग :				
25 वर्ष तक	75	3	96	5
25 से 50 वर्ष तक	1427	65	1432	67
50 वर्ष से अधिक	685	32	595	28
3.शैक्षणिक स्तर :-				
निरक्षर	367	17	494	23
प्राथमिक	860	39	833	39
उच्च प्राथमिक	389	18	345	17
सैकेन्ड्री एवं हा0सै0	386	18	341	16
स्नातक एवं	185	8	110	5
स्नातकोत्तर				
4. कृषि जोत सीमा :-				
1 हैक्टर तक	417	19	558	26
1से अधिक.2है0 तक	637	29	626	30
2 हैक्टर से अधिक	1133	52	939	44

3.2 कृषि विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का गत तीन फसल मौसम का तुलनात्मक विवरण

(प्रतिशत में)

कृषि विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का विवरण :-	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1. मण्डल कृषक के रूप में चयनित होने की जानकारी :	51	49	43
2. मण्डल कृषकों को कृषि पर्यवेक्षक के बारे में जानकारी	99	98	96
3. किसान मण्डल की पाक्षिक बैठक में भागीदारी :			
1- माह में दो बार	9	7	7
2- माह में एक बार	21	20	18
4. मण्डल बैठक के निश्चित दिन एवं स्थान की जानकारी :			
1. दिन :	27	26	20
2. स्थान :	33	31	27
5. किसान सेवा केन्द्र संचालन (मण्डल कृषक) :			
1-निश्चित स्थान की जानकारी	81	79	82
2-निश्चित दिवस की जानकारी	55	54	56
6. किसानों द्वारा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधनों का उपयोग किया (मण्डल कृषक) :			
● कृषि पर्यवेक्षक	92	92	92
● सहायक कृषि अधिकारी	19	19	20
● कृषि अधिकारी	5	4	5
● कृषि विभाग के उच्चाधिकारी	7	7	7
● टेलीविजन	21	19	24
● किसान गोष्ठी	17	14	13
● खेती री बातां	11	11	12

3.3 कृषि विस्तार प्रणाली का मूल्यांकन :

राज्य में कृषि विस्तार के तहत रबी 2005-06 में सम्पन्न कराए गये प्रबोधन सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार निम्नानुसार बिन्दुवार प्रगति प्राप्त हुई है ।

3.3.1 किसान मण्डल सदस्य के रूप में चयनित किए जाने की जानकारी :

कृषकों को किसान मण्डल सदस्य के रूप में चयनित होने की जानकारी रबी 2005-06 के दौरान 43 प्रतिशत अंकित की गई है जबकि रबी 2004-05 व खरीफ 2005 में यह क्रमशः 51 व 49 प्रतिशत था । सदस्य के रूप में चयनित किये जाने की जानकारी में लगातार कमी हुई है अतः इसमें कृषि विस्तार अधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त कृषकों को मण्डल सदस्य के रूप में चयनित होने की जानकारी दिये जाने के विशेष प्रयास आवश्यक हैं । खण्डवार विवरण निम्न अनुसार हैं :-

(प्रतिशत में)

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	44	36	33
2.	भरतपुर	42	30	26
3.	कोटा	49	56	50
4.	भीलवाडा	61	63	55
5.	उदयपुर	53	57	42
6.	जोधपुर	50	54	47
7.	श्रीगंगानगर	75	73	58
	राज्य स्तरीय औसत	51	49	43

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण परिणामों अनुसार जयपुर, भरतपुर, एवं उदयपुर खण्ड में रबी 2005-06 के दौरान किसान मण्डल सदस्य के चयन की जानकारी राज्य स्तरीय औसत से कम रही है । राज्य स्तरीय औसत की तुलना में कमी रहने वाले जिलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	अजमेर (40), दौसा (8), सीकर (12), झुंझुनूं (38), भरतपुर (20), अलवर (29), धौलपुर (25), सवाई माधोपुर (5), करौली (37), कोटा (20), टोंक (37) बून्दी (41), बांसवाडा (37) उदयपुर (31) व पाली (31)
---	--	--

3.3.2 किसान मण्डल की जानकारी :

सर्वेक्षण अनुसार 42 प्रतिशत मण्डल कृषकों को किसान मण्डल की जानकारी हैं। रबी 2004-05 व खरीफ 2005 की तुलना में लगातार प्रगति में कमी आई है। सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार खण्डवार प्रतिशत तथा राज्य स्तरीय औसत से कम प्रतिशत वाले जिले का विवरण नीचे तालिका में वर्णित है :-

(प्रतिशत में)

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	43	38	37
2.	भरतपुर	42	30	26
3.	कोटा	49	55	49
4.	भीलवाडा	57	58	51
5.	उदयपुर	52	55	42
6.	जोधपुर	59	60	42
7.	श्रीगंगानगर	76	75	66
	राज्य स्तरीय औसत	51	49	42

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	दौसा (8), सीकर (20), झुंझुनूं (38), भरतपुर (20), अलवर (29), धौलपुर (25), सवाई माधोपुर (5), करौली (37), कोटा (20), बून्दी (41), भीलवाडा(36) बांसवाडा(37) उदयपुर(31) पाली (31) व सिरौही(10)
---	--	---

राज्य स्तर औसत से कम वाले जिलों में संबंधित विशेष प्रयास कर चयनित समस्त मण्डल कृषकों को किसान मण्डल की जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करें।

3.3.3 मण्डल कृषकों को कृषि पर्यवेक्षक के बारे में जानकारी :

कृषि विस्तार प्रणाली में ग्राम स्तर पर आधार कार्यकर्ता कृषि पर्यवेक्षक ही है। रबी 2005-06 के सर्वेक्षण के अनुसार खण्डवार एवं राज्य स्तरीय औसत से कम वाले जिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी	खरीफ	रबी 2005-06
---------	----------	-----	------	-------------

		2004-05	2005	
1.	जयपुर	100	97	88
2.	भरतपुर	99	99	99
3.	कोटा	99	99	98
4.	भीलवाडा	98	99	98
5.	उदयपुर	99	99	96
6.	जोधपुर	97	97	96
7.	श्रीगंगानगर	99	96	100
	राज्य स्तरीय औसत	99	98	96

1.	राज्य स्तर से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	सीकर(53), धोलपुर (92), कांकरोली(97), झालावाड (95), उदयपुर(92)
----	--	---

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस प्रभावी बिन्दु के तहत तीनों फसल मौसम में प्रगति लगभग समान पाई गई है । राज्य स्तरीय औसत से कम वाले जिलों से संबंधित अधिकारी विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें ।

3.3.4 किसान मण्डल बैठक के स्थान एवं दिन की जानकारी :-

(अ) किसान मण्डल कृषकों को स्थान की जानकारी :किसान मण्डल कृषकों को स्थान की जानकारी खण्डवार एवं राज्य स्तरीय औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	23	21	6
2.	भरतपुर	36	21	22
3.	कोटा	31	39	32
4.	भीलवाडा	34	37	37
5.	उदयपुर	38	39	40
6.	जोधपुर	27	30	25
7.	श्रीगंगानगर	59	67	49
	राज्य स्तरीय औसत	33	31	27

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	दौसा (5), जयपुर (1), सीकर (4), झुंझुनूं (10), भरतपुर (7), अलवर (25), सवाई माधोपुर (5), धौलपुर (25), कोटा (20), टोंक (12), भीलवाडा(25),पाली (17) व सिरोही (8)
---	--	--

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस बिन्दु में राज्य स्तरीय औसत की तुलना में लगातार गिरावट हुई है । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले खण्ड एवं जिलों के संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी विशेष ध्यान देवें ।

(ब) कृषकों को बैठक के निश्चित दिन की जानकारी :- खण्डवार एवं राज्य स्तरीय औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :-

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	23	20	6
2.	भरतपुर	28	17	16
3.	कोटा	24	31	22
4.	भीलवाडा	25	27	24
5.	उदयपुर	31	22	29
6.	जोधपुर	23	27	19
7.	श्रीगंगानगर	60	78	50
	राज्य स्तरीय औसत	27	26	20
1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	दौसा (3), सीकर(7), अजमेर(13) झुंझुनूं (10), भरतपुर (3), अलवर धोलपुर(8), सवाई माधोपुर(5), टोंक(5) भीलवाडा(15) उदयपुर (10), पाली (15) व सिरोही (0)		

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य स्तरीय औसत प्रगति में लगातार गिरावट आई है अतः राज्य स्तरीय औसत से कम वाले खण्ड व जिलाधिकारी विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि प्राप्त कर कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाना सुनिश्चित करें ।

3.3.5 मण्डल कृषकों द्वारा मण्डल बैठकों में भाग लेना :-

किसान मण्डल बैठक प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र में गठित मण्डलों में विशिष्ट स्थान एवं दिन को आयोजित की जाती है जिसके तहत उत्पादन वृद्धि विषयों पर चर्चा की जाती है । रबी 2005-06 में आयोजित प्रबोधन सर्वेक्षण के अनुसार 25 प्रतिशत मण्डल कृषक द्वारा मण्डल बैठक में भाग लिया गया जिसमें से 7 प्रतिशत कृषकों द्वारा दो बार तथा 18 प्रतिशत कृषकों द्वारा एक बार ही एक माह के दौरान भाग लिया गया । खण्डवार एवं राज्य स्तरीय औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण निम्न अनुसार है :-

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06

1.	जयपुर	19	17	11
2.	भरतपुर	29	15	15
3.	कोटा	31	28	24
4.	भीलवाडा	32	34	36
5.	उदयपुर	38	44	37
6.	जोधपुर	26	27	23
7.	श्रीगंगानगर	52	53	46
	राज्य स्तरीय औसत	30	27	25

राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	दौसा (5), जयपुर (13), सीकर (6) झुंझुनूं (10), अजमेर (14) भरतपुर (5), अलवर (13), कोटा (21), धौलपुर (8), सवाई माधोपुर (5), टोंक (12), बून्दी (21) पाली (19) बांसवाडा (23), नागौर (21),
--	--

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस बिन्दु की प्रगति में राज्य स्तर पर लगातार गिरावट आई है अतः राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले खण्ड व जिलों से संबंधित अधिकारी प्रयास कर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें। इस हेतु मण्डल बैठकों में विषय वस्तुओं को रुचिकर एवं समयानुकूल बनाये रखने हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है।

3.3.6 किसान सेवा केन्द्रों के संचालन की जानकारी :-

कृषि विस्तार योजनान्तर्गत सभी कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालयों पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा नवीन तकनीकी ज्ञान की जानकारी के साथ ही साथ नवीन तकनीकी अपनाने में या फसलों के बारे में किसी प्रकार की बीमारी / कीट व्याधी से बचाव की जानकारी तथा समस्याओं के निदान प्रदान करने के लिए प्रत्येक गुरुवार को किसान सेवा केन्द्रों का आयोजन किया जाता है। इन केन्द्रों पर कृषि संबंधी पत्र पत्रिकाएं आदि भी कृषकों को सलाह के साथ साथ उपलब्ध कराए जाते हैं। रबी 2005-06 के प्रबोधन सर्वेक्षण अनुसार मण्डल कृषकों को किसान सेवा केन्द्रों के संचालन की जानकारी 82 प्रतिशत है। खण्डवार प्रतिशत एवं राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का विवरण निम्न प्रकार है:

(1) मण्डल कृषकों किसान सेवा केन्द्र के स्थान की जानकारी :

(प्रतिशत में)

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	86	82	88

2.	भरतपुर	74	63	67
3.	कोटा	84	81	89
4.	भीलवाडा	74	83	83
5.	उदयपुर	84	89	82
6.	जोधपुर	82	78	79
7.	श्रीगंगानगर	94	96	89
	राज्य स्तरीय औसत	81	79	82

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	दौसा (55), करौली (68), भरतपुर (58), अलवर (64), बारां (75), भीलवाडा(72), उदयपुर(68),जालौर (43)
---	--	---

सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 82 प्रतिशत मण्डल कृषकों को किसान सेवा केन्द्रों के संचालन की जानकारी है जबकि अन्य कृषकों का प्रतिशत 71 है । जिलेवार विवरण उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है । अतः राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले खण्ड व जिलों से संबंधित अधिकारियों द्वारा इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है ।

(2) **किसान सेवा केन्द्र के कार्य दिवस की जानकारी** : मण्डल कृषकों को किसान सेवा केन्द्रों के कार्य दिवस की जानकारी के बारे में खण्डवार एवं राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का विवरण निम्न प्रकार है:

(प्रतिशत में)

क्र०सं०	नाम खण्ड	रबी 2004-05	खरीफ 2005	रबी 2005-06
1.	जयपुर	52	48	75
2.	भरतपुर	46	43	41
3.	कोटा	61	63	62
4.	भीलवाडा	55	58	52
5.	उदयपुर	64	50	48
6.	जोधपुर	49	56	49
7.	श्रीगंगानगर	88	94	74
	राज्य स्तरीय औसत	55	54	56

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	सीकर (42) दोसा (55), भरतपुर(53)अलवर(29), सवाई माधोपुर (10), कोटा (45), बून्दी(48), भीलवाडा (33), उदयपुर (22), नागौर (38), जालौर(37)
---	--	---

56 प्रतिशत मण्डल कृषकों को व 45 प्रतिशत अन्य कृषकों को ही किसान सेवा केन्द्र के कार्य दिवस की जानकारी है अतः राज्य स्तर औसत से कम वाले खण्ड एवं जिले के संबंधित अधिकारियों द्वारा इस संबंध में विशेष प्रयास की आवश्यकता ।

3.3.7 कृषि तकनीकी ज्ञान कृषकों तक पहुंचाने में विभिन्न माध्यमों की भूमिका :-

कृषकों द्वारा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है । सर्वेक्षण के दौरान आंकलन किया गया कि कृषकों द्वारा मौसम के दौरान तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु किन किन साधनों का उपयोग किया गया । इसका जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है । कृषि तकनीकी ज्ञान कृषकों तक पहुंचाने के मुख्य मुख्य माध्यम निम्न प्रकार है :

(1) कृषि पर्यवेक्षक :

कृषकों को कृषि संबंधी नवीन तकनीकी जानकारी देने में कृषि पर्यवेक्षकों की विशेष भूमिका रहती है । सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 92 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 84 प्रतिशत अन्य कृषकों तक कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी कृषि पर्यवेक्षक द्वारा पहुंचाई जाती है । राज्य स्तरीय औसत से कम वाले जिलों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1	राज्य स्तर औसत से कम प्रतिशत वाले जिलों का विवरण	<u>मण्डल कृषक</u> :दौसा (88), अजमेर(89),अलवर (85) चित्तौडगढ(86), डूंगरपुर (91), उदयपुर (88), नागौर (82), जालौर (82) <u>अन्य कृषक</u> : अलवर(72), बून्दी (72), चित्तौडगढ (77), डूंगरपुर (75), बांसवाडा(67), उदयपुर(79), जालौर (75)
---	--	--

(2) कृषक प्रशिक्षण: सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार 21 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 15 प्रतिशत अन्य कृषकों को कृषक प्रशिक्षणों के माध्यम से मौसम के दौरान नवीनतम कृषि तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ है । राज्य औसत से कम रहने वाले खण्डों का विवरण निम्न प्रकार है :-

1	<u>मण्डल कृषक</u> : जयपुर (14), भरतपुर (6), भीलवाडा (18)	<u>अन्य कृषक</u> : जयपुर (8), भरतपुर (8), भीलवाडा (11)
---	---	---

(3) रेडियो एवं टेलीविजन : फसल मौसम के दौरान रेडियों के माध्यम से कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले 24 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 19 प्रतिशत अन्य कृषक थे । इसी प्रकार दूरदर्शन से जानकारी प्राप्त करने वाले मण्डल एवं अन्य कृषकों का प्रतिशत क्रमशः 24 एवं 18 रहा ।

4 प्रमुख फसलों के अन्तर्गत अपनाये गये प्रमुख प्रभावी बिन्दु :

- 4.1 रबी 2005-06 के सर्वेक्षण के दौरान कृषकों से उनके द्वारा बोई गई प्रमुख फसलों के अन्तर्गत नवीनतम तकनीकी ज्ञान के प्रभावी बिन्दुओं के अनुसरण के बारे में भी जानकारी चाही गई। यदि उनके द्वारा प्रभावी बिन्दुओं का फसल में अनुसरण नहीं किया गया है तो उसके नहीं अपनाये जाने के मुख्य कारण की जानकारी प्राप्त की गई।
- 4.2 रबी 2005-06 में राज्य में कुल 78.79 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई। 2187 मण्डल कृषक एवं 2123 अन्य कृषकों का सर्वेक्षण किया गया मुख्य फसलें गैहूं, सरसों, व चना पर प्रभावी बिन्दुओं का अध्ययन किया गया ।
- 4.3 फसलों के अन्तर्गत बोये गये क्षेत्रफल एवं नमूना सर्वेक्षण के अन्तर्गत मुख्य फसल के रूप में बोने वाले कृषक (सर्वेक्षण अनुसार) का विवरण निम्न सारणी में है :-

क्र०सं०	मुख्य फसल का नाम	रबी 2005-06 बोया गया क्षेत्र		सर्वेक्षण के आधार पर			
		क्षेत्रफल लाख है०	रबी में बोये गये कुल क्षेत्र प्रतिशत	मण्डल कृषक 2187		अन्य कृषक 2123	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	गैहूं	21.24	26.95	1957	89.48	1819	85.68
2	सरसों	35.59	45.17	1434	65.56	1364	64.24
3	चना	10.82	13.73	386	17.64	326	15.35

मुख्य फसलों में कृषकों द्वारा अपनाये गये प्रभावी बिन्दुओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 4.3.1 **भूमि उपचार** :-सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार भूमि उपचार करने वाले कृषकों का प्रतिशत एवं जिन कृषकों द्वारा यह विधि उपयोग में नहीं ली गई उन कृषकों के अनुसार नहीं अपनाये जाने के मुख्य कारणों का विवरण फसलवार निम्न प्रकार है

- (1) **गैहूं** :-इस फसल में 6 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 5 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा भूमि उपचार किया गया । भूमि उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 6 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 8 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना तथा कमशः 4 एवं 5 प्रतिशत कृषकों द्वारा आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि

विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा इस हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है ।

- (2) **सरसों** :-इस फसल में 4 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 4 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा भूमि उपचार किया गया । भूमि उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 3 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 3 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना तथा क्रमशः 4 एवं 5 प्रतिशत कृषकों द्वारा आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा इस हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है ।
- (3) **चना** :-इस फसल में 2 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 1 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा भूमि उपचार किया गया । भूमि उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 15 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 18 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना तथा क्रमशः 7 एवं 5 प्रतिशत कृषकों द्वारा आवश्यक आदान समय पर उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा इस हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता है ।

4.3.2 बीज उपचार :-

(अ) रसायन द्वारा

- (1) **गैहूँ**:- इस फसल में 43 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 39 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 17 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 13 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 19 एवं 18 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता समय पर आदान उपलब्ध करवाना एवं विधि की जानकारी देना सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-13,बारा(23), कोटा(11), झालावाड(30), भीलवाडा(19), चित्तौड(24), कांकरोली(17), डूंगरपुर(4), नागोर(28) व सिरोही(16)	अजमेर-15, बारा(17), कोटा(18), बून्दी(23), झालावाड(26), भीलवाडा(12) चित्तौड(24), कांकरोली(16),डूंगरपुर(3),सिरोही(11)जालौर-(22),

- (2) **सरसों :-** इस फसल में 45 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 38 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 14 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 15 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 14 एवं 12 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता समय पर आदान उपलब्ध करवाना एवं विधि की जानकारी देना सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-10, जयपुर(10), दौसा(34), सीकर(3)बांरा(38), कोटा(31), चित्तौड़(42) झालावाड-(35), डूंगरपुर-(4), उदयपुर-(1) जालौर(20), सिरोही(9)	अजमेर-2, दौसा(29) कोटा-9, बून्दी(36) झालावाड-34, भीलवाडा(34)चित्तौड़(30), जालोर(18), सिरोही(7) डूंगरपुर-1, उदयपुर-2,

- (3) **चना :** इस फसल में 24 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 20 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 16 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 13 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 26 एवं 33 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता समय पर आदान उपलब्ध करवाना एवं विधि की जानकारी देना सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल	अन्य कृषक
अजमेर-12, डूंगरपुर(3), उदयपुर(0),	, जयपुर-8, दौसा(3), उदयपुर(23), डूंगरपुर(4)

(ब) **बीज उपचार (कल्चर द्वारा) :**

- (1) **गैहूं :** इस फसल में 19 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 14 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा कल्चर से बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 40 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 45 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 14 एवं 15 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
सीकर(17), झुंझुनूं-(7), अलवर(17), करौली(10), कोटा(16), भीलवाडा(9), चित्तौड(6), कांकरोली(9), डूंगरपुर(9), पाली-12, नागौर-10, श्रीगंगानगर(8), छतरगढ(11),	दौसा-(5), झुंझुनूं-(3), अलवर (8), करौली(7), भीलवाडा(5), चित्तौड(5), कांकरोली(5), डूंगरपुर(6), पाली-6, नागौर-5, श्रीगंगानगर(8), छतरगढ(6)

- (2) सरसों : इस फसल में 15 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 13 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा कल्चर से बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 43 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 41 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 10 एवं 11 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
जयपुर(8), दौसा (14)सीकर(12), झून्झून्(5), भरतपुर(14), अलवर(6) धोलपुर(14) सवाई माधोपुर(3), भीलवाडा(5), चित्तौड(11), पाली(7), नागौर(11), श्रीगंगानगर(10) छतरगढ(14)	जयपुर(8), सीकर(12), भरतपुर(8), अलवर(5), धोलपुर(11), करौली(7), कोटा(9), भीलवाडा(7), चित्तौड(12), पाली(10), नागौर(7), श्रीगंगानगर(8) व छतरगढ(7)

- (3) चना:-फसल में 27 तिशत मण्डल कृषकों एवं 21 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा कल्चर से बीज उपचार किया गया । उपचार नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 30 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 30 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 23 एवं 28 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-(24), सीकर-(8), झुंझुनूं-(9), बांसवाडा(15), डूंगरपुर(16), उदयपुर(16)	अजमेर-(10), सीकर-(17), झुंझुनूं-(4), बांसवाडा-(7), डूंगरपुर(11), उदयपुर(21)

4.3.3 प्रमाणित बीज का उपयोग :

- (1) **गैहू** : इस फसल में 42 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 35 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 12 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 12 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
सवाईमाधोपुर(37), करौली(38),भीलवाडा(22),चित्तौड(20), बांरा(14), बून्दी(18), झालावाड(25), टौंक(39), बासंवाडा(29), डूंगरपुर(23) उदयपुर(16)	,जयपुर-(27)सीकर-(32) अलवा(31) सवाई माधोपुर(26), बांरा(8), बून्दी(9), झालावाड(16), भीलवाडा(19), चित्तौड(20), बांसवाडा(14), डूंगरपुर(13), उदयपुर(9)

- (2) **सरसों** : इस फसल में 70 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 64 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 6 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 9 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया । अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
भरतपुर(63), अलवर(46), धोलपुर(36), सवाई माधोपुर(63), बांरा(68), बून्दी(43), चित्तौड(43), सिरोही(47)	अलवर(46), धौलपुर(37), बांरा(51), बून्दी(30), कोटा(29), भीलवाडा(61), चित्तौड(29) सिरोही(57)

- (3) **चना** इस फसल में 14 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 10 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा प्रमाणित बीज का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 18 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 15 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता विशेष ध्यान देकर प्रगति में वृद्धि सुनिश्चित करें । राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है:

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
बारा(9), बासंवाडा(7), उदयपुर(11)	झालावाड(5), टौंक(5), बासंवाडा(2),

4.3.4 बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग :

- (1) **गँहू** इस फसल में 93 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 91 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 5 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 11 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर(80), कांकरोली(26), डूंगरपुर(90), जालौर(83), सिरोही(88),	अजमेर(89), कांकरोली(77), डूंगरपुर(75), उदयपुर(56), पाली(85) व जालौर(76)

- (2) **सरसों:** इस फसल में 92 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 91 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 7 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 9 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-(75),सीकर(82), झून्झनू(82), पाली(83), जालौर(78), सिरोही(81), छतरगढ(86)	अजमेर-(61), सीकर(76), झून्झनू(74), धौलपुर(89), झालावाड(88), भीलवाडाप(85), पाली(82), जालौर(73), सिरोही(80), छतरगढ(64)

- (3) **चना:-** इस फसल में 56 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 48 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा बुवाई से पूर्व उर्वरक का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 6 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 4 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
सीकर-(45) झुंझुंनू-(23) डूंगरपुर(48), उदयपुर(51),	सीकर-(32,) झुंझुंनू-(12,) बांसवाडा-(46) डूंगरपुर(51), उदयपुर(28)

4.3.5 खडी फसल में उर्वरक का उपयोग :

- (1) **गँहू :** इस फसल में 95 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 91 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा खडी फसल में उर्वरक का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 7 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 4 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताय, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-(72),दौसा-(94),सीकर-93,कोटा(84), कांकरोली(92), डूंगरपुर(89), पाली-(88),जालौर-(82)	अजमेर-76 सीकर-89, कोटा(89), टौक(89), चित्तौड(67), बांसवाडा(89), डूंगरपुर(75), उदयपुर(88), पाली (82), जालौर(83)

- (2) **सरसों:-** इस फसल में 89 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 86 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा खडी फसल में उर्वरक का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 1 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 5 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
अजमेर-60,,जयपुर(84), दोसा(86), सीकर(74), भरतपुर(86), धोलपुर(86), सवाई माधोपुर(78), टौक (77), भीलवाडा(82), पाली(84), जालौर(84)	अजमेर-68, जयपुर(73), सीकर(67), टौक(75), सवाई माधोपुर(73), बून्दी(79), भीलवाडा(66), पाली(80), जालौर(77)

4.3.6 जिप्सम का उपयोग :

- (1) **सरसों:-** इस फसल में 7 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 5 प्रतिशत अन्य कृषकों ने जिप्सम का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 22 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 12 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना बताया, क्रमशः 5 व 7 प्रतिशत कृषकों ने विधि की जानकारी नहीं होना बताया । अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य

स्तरीय औसत से कमी वाले जिलों का मण्डल व अन्य कृषकों का विवरण निम्न प्रकार है

मण्डल कृषक	अन्य कृषक
जयपुर(5), सीकर(4), झूझनू(5), अलवर(2), टौंक(4), भीलवाडा(2), पाली(5),नागोर(4),जालौर(4),सिरोही(4)	जयपुर(1), सीकर(3), झूझनू(4), अलवर(2), झालावाड(3), टौंक(4), चित्तौड(3),पाली(3), जालौर एवं सिरोही(4)

4.3.7 पौध संरक्षण का उपयोग :

- (1) **गँहू** : इस फसल में 1 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 1प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा पौध संरक्षण का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 1 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 2 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 2 एवं 2 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (2) **सरसों**— इस फसल में 31 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 29 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा पौध संरक्षण का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 2 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 2 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 2 एवं 2 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- (3) **चना** : इस फसल में 19 प्रतिशत मण्डल कृषकों एवं 17 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा पौध संरक्षण का उपयोग किया गया । उपयोग नहीं करने वाले कृषकों में से उनके 6 प्रतिशत मण्डल कृषक एवं 6 प्रतिशत अन्य कृषकों द्वारा आदान उपलब्ध नहीं होना तथा क्रमशः 3 एवं 3 प्रतिशत कृषकों द्वारा विधि की जानकारी नहीं होना बताया, अतः इस संबंध में कृषि विस्तार अधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रबोधन सर्वेक्षण निरक्षण प्रगति रबी 2005-06

क्र. सं.	खण्ड का नाम	निरीक्षण अधिकारी का पद	निरीक्षण किये गये मण्डल का विवरण		
			आवंटन	प्रगति	प्रतिशत
1	जयपुर	सहा0निदे0कृषि (वि0)	18	16	90
		कृषि अधिकारी	36	34	94
		कृषि अधिकारी(मोन0)	9	9	100
		सांख्यिकी अधि0	12	12	100
		सहा0निदे0 सांख्यिकी	9	8	89
		कुल	84	79	94
2	भरतपुर	सहा0निदे0कृषि (वि0)	14	12	85
		कृषि अधिकारी	30	14	50
		सांख्यिकी अधिकारी	20	20	100
		सहा0सांख्यिकी अधि0	5	5	100
		कृषि अधिकारी(मोन0)	5	5	100
		कुल	74	56	76
3	कोटा	सहा0निदे0कृषि (वि0)	14	14	100
		कृषि अधिकारी	16	16	100
		सहा0निदे0 सांख्यिकी	8	8	100
		कृषि अधिकारी(मोन0)	8	8	100
		सांख्यिकी अधि0	8	9	112
		कुल	54	55	102
4	भीलवाड़ा	सहा0निदे0कृषि (वि0)	14	14	100
		कृषि अधिकारी	14	14	100
		सहा0निदे0 सांख्यिकी	8	8	100
		कृषि अधिकारी(मोन0)	8	7	92
		सांख्यिकी अधि0	3	3	100
		कुल	47	46	98
5	उदयपुर	सहा0निदे0कृषि (वि0)	8	8	100
		कृषि अधिकारी	6	6	100
		सहा0सांख्यिकी अधि0	4	4	100
		कुल	18	18	100
6	जोधपुर	सहा0निदे0कृषि (वि0)	8	8	100
		सहा0निदे0 सांख्यिकी	4	4	100
		कृषि अधिकारी	8	8	100
		कृषि अधिकारी(मोन)	3	3	100
		सांख्यिकी अधिकारी	2	2	100
		सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	2	100
		कुल	27	27	100
7	गंगानगर	सहा0निदे0कृषि (वि0)	2	2	100
		कृषि अधिकारी	6	4	66
		कुल	8	6	75
		राज्य स्तरीय	312	287	92